

प्रेस नोट,

दिनांक 17.02.2025

**थाना को0नगर पुलिस द्वारा 02 मोटरसाइकिल चोरों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 अदद चोरी की मोटरसाइकिल(कूटरचित नम्बर प्लेट) बरामद-**

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0नगर पुलिस द्वारा राजेन्द्र लहिणी चौराहा के पास रात्रिगस्त/चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल चोरी करने के 02 अभियुक्तों 01. अजय कुमार कोहली, 02. गोरखनाथ उर्फ लल्लू कश्यप को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल(कूटरचित नम्बर प्लेट) बरामद किया गया।

**घटना का संक्षिप्त विवरण-**

आज दिनांक 17.02.2025 को थाना को0नगर पुलिस द्वारा राजेन्द्र लहिणी चौराहा के पास रात्रि गस्त/वाहन चेकिंग कि जा रही थी कि चेकिंग कौ दौरान मोटरसाइकिल पर सवार 02 मोटरसाइकिल चोर 01. अजय कुमार कोहली, 02. गोरखनाथ उर्फ लल्लू कश्यप को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 01 अदद मोटरसाइकिल पैशन प्रो(कूटरचित नम्बर प्लेट) बरामद किया गया। बरामदगी व गिरफ्तार के आधार पर थाना को0नगर में मु0अ0सं0-123/2025, धारा 318(4), 336(3), 338, 340(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

**पूछताछ का विवरण:-**

पूछताछ के दौरान अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि इनके द्वारा दिनांक 12.02.2025 को गोण्डा रेलवे स्टेशन से यह गाड़ी चोरी करके लाये थे तथा उसका नम्बर प्लेट बदलकर चला रहे थे।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

01. अजय कुमार कोहली पुत्र छोटेलाल निवासी पण्डापुरवा मौजा गौरवाखुर्द, थाना करनैलगंज, गोण्डा।
02. गोरखनाथ उर्फ लल्लू कश्यप पुत्र ऐस कुमार निवासी दानपुरवा मौजा परसागोडरी थाना कर्नलगंज, गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग-**

01. मु0अ0सं0-123/25, धारा 318(4), 336(3), 338, 340(2), 317(2) बीएनएस थाना को0नगर जनपद गोण्डा।

**बरामदगी-**

01. 01 अदद चोरी मोटरसाइकिल(कूटरचित नम्बर प्लेट)।

**गिरफ्तार कर्ता टीम-**

01. उ0नि0 केदारराम
02. उ0नि0 अविनाश सिंह
03. का0 प्रभाकर यादव
04. का0 अमित तोमर
05. का0 विजय कुमार सिंह

**अभियुक्त गोरखनाथ उर्फ लल्लू कश्यप पुत्र ऐस कुमार का आपराधिक इतिहास**

01. मु0अ0सं0-469/24, धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना को0कर्नलगंज जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0-481/23, धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना को0कर्नलगंज जनपद गोण्डा।
03. मु0अ0सं0-674/23, धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना को0नगर जनपद गोण्डा।

**मीडिया सेल गोण्डा**